शोध ईकाई

प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत सरकार

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना

भारत में जनजातीय समुदाय को सशक्त करती एक अनूठी पहल

जनजातीय कार्य मंत्रालय

"सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है कि सरकार की हर योजना हमारे सबसे पिछड़े आदिवासी भाई-बहनों तक जल्द से जल्द पहुंचे। खदान का मेरा कोई पिछड़ा भाई या बहन अब सरकार की योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा"

-प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई) सरकार की एक एतिहासिक पहल है जो 28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। इस महत्वाकांक्षी योजना की कल्पना भारत में जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक व्यापक रणनीति के रूप में की गई, जो देश की आबादी का लगभग 8.9% हिस्सा है। हिमालय से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विभिन्न क्षेत्रों में फैली 700 से अधिक अनुसूचित जनजातियों वाली भारत की जनजातीय आबादी अक्सर सामाजिक-आर्थिक विकास के मामले में हाशिए पर रहती है।

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना

- गुणवत्तापूर्ण तथा सतत् रोज़गार
- तेज आर्थिक विकास
- स्वास्थ्य, आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल की सुविधा
- सभी मौसम के अनुकूल सड़क संपर्क
- जनजातीय सांस्कृतिक तथा खेल कूद को प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रखे गए समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ, प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई) का मकसद भारत में आदिवासी समुदायों को उनकी ऐतिहासिक उपेक्षा

को देखते हुए सशक्त बनाना है। यह पहल न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि सतत् विकास के लिए एक रूपरेखा भी स्थापित करती है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था, "जब प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने और हमारे वनों के संरक्षण की बात आती है, तो हमारे आदिवासी समुदायों ने हमारे सामने एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है," उनकी प्राथमिकताओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 26,135.46 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ, पीएमवीकेवाई शिक्षा और आजीविका में एकीकृत ग्राम विकास और क्षमता निर्माण पहल के ज़रिए आदिवासी समुदायों के समग्र विकास पर ज़ोर देता है। एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देकर, जहां ये समुदाय फल-फूल सकते हैं, सरकार एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाना चाहती है जो मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" (सभी के साथ मिलकर, सभी के लिए विकास) के दृष्टिकोण के अनुरुप हो। इस पहल का मकसद न केवल जनजातीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत और पहचान के संरक्षण पर भी जोर देना है।

पीएमवीकेवाई के तहत छह प्रमुख कदम

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना के तहत छह प्रमुख कदम

- प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

- विशेषतौर पर कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी)-पीएम जनमन
- आदिवासी अनुसंधान संस्थान
- प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप
- पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप
- परियोजना प्रबंधन ईकाई स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रशासनिक मदद

पीएमवीकेवाई में आदिवासी कल्याण के विभिन्न पहलुओं के उद्देश्य से छह चरण शामिल हैं। इसमें शामिल है:

1. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) मौजूदा विशेष केंद्रीय सहायता को जनजातीय उप-योजना में संशोधित करती है, जो महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले 36,428 गांवों में एकीकृत ग्राम विकास पर केंद्रित है।1 यह पहल सड़क और दूरसंचार संपर्क , शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित करती है, जिनका मकसद जनजातीय समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।

इस योजना के तहत, इन गांवों को विशेष रूप से सड़क संपर्क, मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उप-केंद्रों, पेयजल सुविधाओं, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए पहचाना गया है। 2025-26 तक नियोजित 7,276 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ प्रत्येक गांव को 20.38 लाख रुपये प्राप्त होंगे। जुलाई 2024 तक करीब 16,000 गांवों के लिए योजनाओं को मंजूरी दी गई है और कार्यान्वयन के लिए 2,283 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

2. विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास

पीवीटीजी विकास योजना को उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले आदिवासी समुदायों (पीवीटीसी परिवारों) के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।2 यह पहल आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को जीवन स्तर बढ़ाने और पीवीटीजी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

2023-24 के बजट भाषण में, सरकार ने उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल,

स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बढ़ी हुई संपर्क जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए तीन वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का प्रावधान है। करीब 500 ब्लॉकों और 15,000 पीवीटीजी बसावटों को लक्षित करते हुए 100 जिलों में एक प्रारंभिक व्यापक आईईसी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक बनाया जा सके। यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक सुदूर पीवीटीजी को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और हाट बाजार, सीएससी और ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय केंद्रों का उपयोग करके उनके दरवाजे सेवाओं की सुविधा पहुंच सके।

3. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता 3

यह प्रक्रिया जनजातीय समुदायों से संबंधित अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण के प्रयासों को सुविधाजनक बनाता है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों को आदिवासी संस्कृतियों और चुनौतियों से संबंधित ज्ञान के आधार को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता आवंटित की जाती है।

---

1 Villages having at least 50% tribal population and 500 STs across States / UTs

2 https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1577166

3 Tribal Research Institute (TRI) is the research body of the Ministry of Tribal affairs at state level. It is envisaged that TRIs should focus on their core responsibilities as body of knowledge & research more or less as a think tank for tribal development, preservation of tribal cultural heritage, providing inputs to States for evidence based planning and appropriate legislations, capacity building of tribals and persons / institutions associated with tribal affairs, dissemination of information and creation of awareness . There are 26 Tribal Research Institute (TRIs) supported by ministry of Tribal Affairs, Government of India.

4. प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप

इन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का मकसद जनजातीय विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक कार्यों में मदद करना है। **प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप** कक्षा IX और X के छात्रों को प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति उन छात्रों के लिए उपलब्ध है, जिनके माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपए तक है, ताकि वित्तीय बाधाएं इन छात्रों की शैक्षिक उन्नति में बाधा न बनें।

ज्यादातर राज्यों के लिए भारत सरकार 75% योगदान देती है, जबकि राज्य सरकार 25% प्रदान करती है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के मामले में, भारत सरकार का योगदान बढ़कर 90% हो जाता है और राज्य का योगदान केवल 10% होता है। अंडमान और निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए, जिनके पास विधान सभा या स्वयं का अनुदान नहीं है, भारत सरकार 100% धनराशि प्रदान करती है।

5. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री-मैट्रिक योजना के समान नियमों और शर्तों का पालन करती है, लेकिन ये कक्षा 10 से आगे पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मदद करती है। इस छात्रवृत्ति का मकसद वित्तीय बोझ को कम करके और लगातार शैक्षणिक उन्नति को प्रोत्साहित करके उनकी शैक्षिक यात्रा का समर्थन करना है।

6. परियोजना प्रबंधन ईकाई स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रशासनिक मदद

पीएमवीकेवाई राज्य सरकारों के भीतर भी परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना के लिए धन आवंटित करता है, ताकि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

आदिवासी कल्याण के लिए सरकार के अन्य प्रयास

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

उपर्युक्त प्रयासों के अलावा, कक्षा VI से XII तक के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना बनाई गई है। नई योजना के तहत सरकार ने 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का फैसला किया। वर्ष 2026 तक देश भर में 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य है।

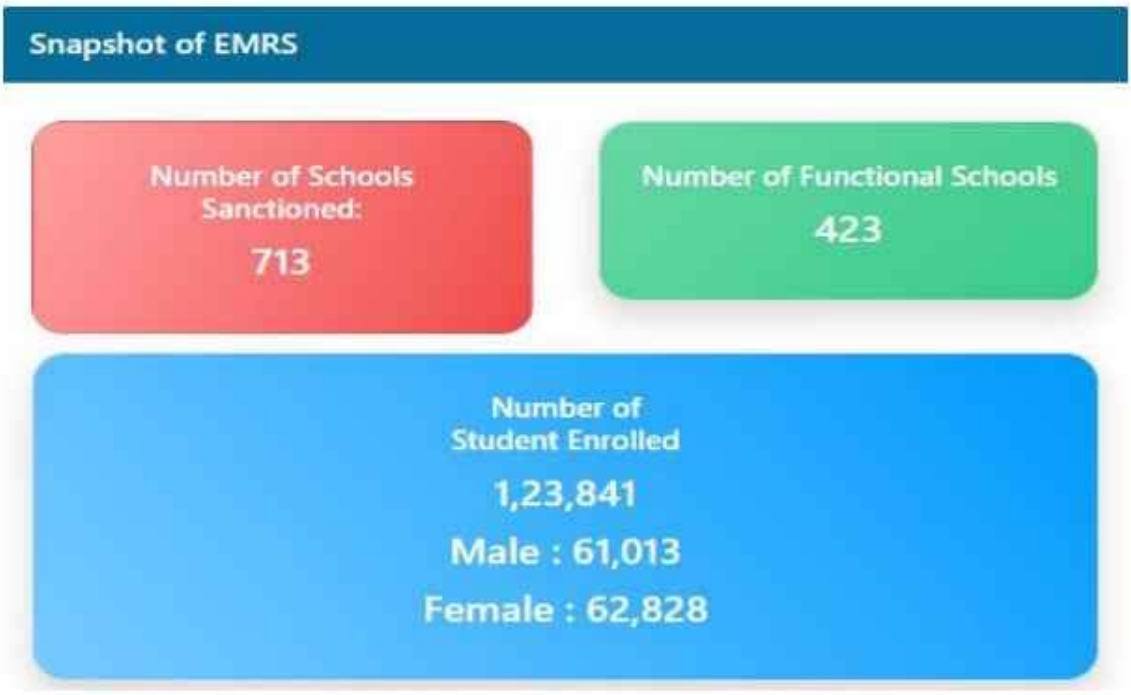

ईएमआरएस की रुपरेखा

स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	कार्यशील विद्यालयों की संख्या
नामांकित छात्रों की संख्या **1,23,841** **पुरुष-61,013** **महिला- 62,828**	

*1 अक्टूबर 2024 तक

वित्त पोषण और कार्यान्वयन रणनीतियाँ

चालू वित्त वर्ष (2024-25) में केंद्र सरकार ने पीएमवीकेवाई के तहत छह योजनाओं की मदद करने के लिए **4,300 करोड़ रुपये** आवंटित किए हैं। इसमें **27.5 लाख** छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने और **5,000 गांवों** में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने का प्रावधान शामिल है। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों और परियोजना प्रबंधन इकाइयों पर जोर देना, सतत् जनजातीय विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन (पीएमजेवीएम)

2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत, पीएमजेवीएम को दो मौजूदा योजनाओं को विलय और विस्तारित करके पुनर्गठित किया गया है: "न्यूनतम समर्थन मूल्य के ज़रिए लघु वन उपज के विपणन के लिए तंत्र" और "जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन"। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को कृषि उत्पादों, गैर-लकड़ी वन उत्पादों (एनटीएफपी) और गैर-कृषि उद्यमों सहित प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और न्यायसंगत उपयोग को बढ़ावा देकर आदिवासी उद्यमिता को बढ़ाने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (टीआरआईएफईडी) इस पहल के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

यह मिशन "वोकल फॉर लोकल बाय ट्राइबल" की विचारधारा का समर्थन करता है, जिसका मकसद स्थानीय संसाधन उपयोग के माध्यम से आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है। पीएमजेवीएम के तहत, मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद, एमएफपी और गैर-एमएफपी मूल्य श्रृंखलाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और वन धन विकास केंद्रों के ज़रिए मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

अनुसूचित जनजातियों के लिये विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) जनजातीय विकास के लिए एक समर्पित पूंजी स्त्रोत के तौर पर काम करती है। इस बहुआयामी रणनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति और आजीविका के अवसरों जैसे अहम क्षेत्रों के लिए मदद शामिल है।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) के अलावा, 41 मंत्रालय और विभाग डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास पहलों के लिए प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का एक प्रतिशत योगदान करते हैं। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास सहित सभी क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों की विविध ज़रुरतों को पूरा करना है।

चालू वित्त वर्ष के लिए, ये मंत्रालय और विभाग डीएपीएसटी के तहत **214 योजनाओं और कार्यक्रमों** को लागू कर रहे हैं, जिसमें **1.23 लाख करोड़ रुपये** से अधिक का आवंटन किया गया है। इसमें से करीब **36,000 करोड़ रुपये** पहले ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए जारी किए जा चुके हैं, जो अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, भारत की विकास गाथा में आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण और समावेषण की दिशा में एक अहम कदम का प्रतिनिधित्व करती है। विभिन्न क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करते हुए, पीएमवीकेवाई का मकसद एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाना है, जहां आदिवासी आबादी विकसित हो सके और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सके। आदिवासी कल्याण के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, भारत के विविध आदिवासी समुदायों का भविष्य बेहद आशाजनक दिखता है।

संदर्भ:

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1943128#:~:text=Pradhan%20Mantri%20Vanbandhu%20Kalya
nYojana%20(PMVKY,26135.46%20crores&text=Ministry%20of%20Tribal%20Affairs%20is,and%20welfare% 20of%20tribal%20communities.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/WriteReadData/flipbook/2024/Oct/2nd/English/index.html
Press Release:Press Information Bureau https://tribal.nic.in/EMRS.aspx
https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-janjati-adivasi-nyaya-maha-abhiyan-pm-janman
https://socialjustice.gov.in/public/ckeditor/upload/90101653029266.pdf

एमजी/आरपीएम/केसी/एनएस